सबकी योजना

People's Plan Campaign

(2021-22)

मार्गदर्शिका

पंचायती राज विभाग

झारखण्ड सरकार, रांची

सबकी योजना सबका विकास

People's Plan Campaign 2021

02 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022

<u>अभियान हेतु मार्गदर्शिका</u>

पृष्ठभूमि :

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को निधि (75:15:10 के अनुपात में क्रमश: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) उपलब्ध कराये जाने के साथ साथ अन्य स्रोतों से प्राप्त संसाधनों से पंचायती राज संस्थाओं का कार्यक्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक हुआ है। संवैधानिक प्रावधान तथा झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक विस्तृत (Comprehensive), सर्वांगीण (Holistic), समेकित (Integrated) समावेशी (Inclusive) और सहभागितापूर्ण (Participatory) वार्षिक योजना बनाने की आवश्यकता है । तदनुसार पंचायत राज विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा समेकित वार्षिक विकास योजना निर्माण हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 1551 दिनांक 25.09.2020 द्वारा मार्गदर्शिका निर्गत है।

पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को "सबकी योजना सबका विकास" के तहत संचालित People's Plan Campaign में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक विकास योजना का निर्माण किया जाएगा। "सबकी योजना सबका विकास" 2021-22 के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं :-

I. यह अभियान पूरे राज्य में दिनांक 02.10.2021 से 31.01.2022 तक पंचायती राज विभाग, मनरेगा एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के संयुक्त तत्वाधान में चलाया जाएगा।
II. अभियान संचालन हेतु नोडल विभाग पंचायती राज विभाग होगा । विभाग द्वारा एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जाएगा जो पूरे अभियान के संचालन हेतु उत्तरदायी होगा।
III. राज्य आजीविका मिशन एवं मनरेगा द्वारा भी एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जाएगा जिसकी सूचना पंचायती राज विभाग को दी जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी संबंधित विभागों, जिनके द्वारा पंचायत स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है अथवा सेवा प्रदान की जाती है, के द्वारा भी नोडल पदाधिकारी नामित किया जायेगा।

IV. अभियान के दौरान त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा अपनी वार्षिक विकास योजना तैयार की जाएगी जिसमें सभी संबंधित विभागों के योजनाओं का समावेश होगा ।

<u>“सबकी योजना सबका विकास” का उद्देश्य :-</u>

सबकी योजना सबका विकास अंतर्गत People’s Plan Campaign, 2021 के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

I. साक्ष्य आधारित मूल्यांकन : विगत वर्षों के दौरान की गई उपलब्धियों एवं प्रगति का साक्ष्य आधारित मूल्यांकन।

II. ग्राम सभा को सशक्त एवं जीवंत बनाना तथा ग्राम सभा की कार्यप्रणाली में सुधार। कृपया विशेष जानकारी के लिए परिशिष्ट – 1 देखें।

III. कम लागत एवं बिना लागत की योजनाओं को क्रियान्वित करना। कृपया विशेष जानकारी के लिए परिशिष्ट- 2 देखें।

IV. जन सूचना अभियान : पंचायत की समस्त योजनाओं, कार्यक्रमों और वित्तीय संसाधनो का पंचायत कार्यालय, ग्राम मानचित्र, Bhuvan Panchayat एवं Gram Samvaad Application के माध्यम से प्रकाशन एवं सार्वजनिकीकरण

V. विधिवत, औपचारिक एवं व्यवस्थित ग्राम सभा का आयोजन : 2 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक विधिवत, औपचारिक एवं व्यवस्थित ग्राम सभा का आयोजन जिसमें ग्यारहवीं अनुसूची से संबंधित सभी 29 प्रक्षेत्रों के फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं / पर्यवेक्षकों की उपस्थिति और उनके द्वारा प्रस्तुतिकरण।

VI. स्थानीय समुदाय और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की भूमिका को सशक्त करना।

VII. सतत विकास लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् की वार्षिक विकास योजना तैयार करना।

<u>अभियान के संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था</u>

क्र०	स्तर	नामित पदाधिकारी	दायित्व
1	पंचायती राज विभाग	संयुक्त सचिव एवं सहायक निदेशक	अभियान के नोडल एवं सहायक नोडल पदाधिकारी। समन्वय एवं नीतिगत निर्णय निर्धारण।
2	मनरेगा	श्री शिवशंकर, SPO	मनरेगा के नोडल एवं

			समन्वय
3	SRLM	श्रीमति पूर्णिमा मुखर्जी,	SRLM के नोडल एवं समन्वय
4	संबंधित 13 (तेरह) विभाग	नामित पदाधिकारी	समन्वय
4	जिला स्तर	उप विकास पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद	ज़िले में अभियान के क्रियान्वयन एवं तीनों स्तर की योजनाओं की ससमय पोर्टल में प्रविष्टि
5	प्रखण्ड स्तर	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सह सचिव, पंचायत समिति	प्रखण्ड में अभियान के क्रियान्वयन एवं दोनों स्तर की योजनाओं की ससमय पोर्टल में प्रविष्टि
6	पंचायत स्तर	संबंधित विभाग के frontline कार्यकर्त्ता	ग्राम सभा का आयोजन से लेकर पंचायत से योजना का अनुमोदन, अपने विभाग की सूचना

अभियान के संचालन हेतु संस्थागत व्यवस्था :-

क्र०	स्तर	दल का नाम	दल के सदस्य
1	राज्य स्तर	राज्य संसाधन दल	क. पंचायत राज विभाग द्वारा नामित तीन परामर्शी ख. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से नामित पदाधिकारी / परामर्शी ग. मनरेगा से नामित पदाधिकारी / परामर्शी घ. JSLPS से नामित पदाधिकारी / परामर्शी ड़ केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, हेहल से नामित दो सदस्य
	जिला स्तर	जिला संसाधन दल	क. जिला पंचायत राज पदाधिकारी ख. DPM, Panchayati Raj ग. District Coordinator, JJM / SBM

			घ. DPM / SMIB, JSLPS ड़. PO, MGNREGA च. जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी द्वारा नामित MT/CSO representatives
	प्रखंड स्तर	प्रखंड संसाधन दल	क. प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी ख. प्रखंड समन्वयक, राज्य स्वशासन परिषद् ग. BPM JSLPS घ. BPO, MGNREGA ड़. प्रखंड समन्वयक, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत सहजकर्त्ता दल	क. ग्राम पंचायत कार्यकारी समिति के सदस्य, जो पूर्व में ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित रहे है – 02 ख. JSLPS द्वारा नामित ग्राम संगठन के सदस्य - 02 ग. मनरेगा मेट – 01 घ. जलसहिया ड़. स्वास्थ्य सहिया च. आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका छ. संकुल संसाधन व्यक्ति/ कर्मी (प्राथमिक शिक्षा)

अभियान की समय-सारिणी :-

पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अभियान के लिए निर्धारित समय सारणी निम्नलिखित है:-

S.No.	Activity	Date
1.	Correspondence with central line ministries to issue necessary directions to their counterparts in States / UTs to facilitate effective participation during the process	30th July 2021
2.	Activation of all monitoring platform like GPDP portal etc.	5th Aug 2021
3.	Appointment of Nodal officers (State, District & Block etc.)	31st Aug 2021
4.	Preparation of training module for Facilitators and Stakeholders	31st Aug 2021
5.	Appointment of Facilitators for every Gram Panchayat	5th Sep 2021
6.	Roll out of training modules for facilitators and all stakeholders	5th Sep 2021
7.	Introductory workshop of related stakeholders and SNOs on PPC 2021	10th Sep 2021
8.	Finalization of schedule of Gram Sabha Meeting	15th Sep 2021
9.	Workshop on sector wise data analysis based on MA data for preparation of better convergent and comprehensive GPDP by NIRDPR	15th Sep 2021
10.	Uploading of Gram Sabha wise calendar	20th Sep 2021
11.	Display Public Information Board in every GP	30th Oct 2021
12.	Five regional workshop on preparation of GPDP for social transformation and economic development	15th Sep -30th Oct 2021
13.	Uploading approved DPDP, BDPD and GPDP on e-gramswaraj application	31st Jan 2022

<u>पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अभियान के लिए प्राप्त समय सारणी के आलोक में “सबकी योजना सबका विकास” अंतर्गत People’s Plan Campaign, 2021 की विस्तृत कार्यक्रम विवरणी</u>

<u>People’s Plan Campaign, 2021 की प्रक्रिया :-</u>

People’s Plan Campaign, 2021 की चरणवार विवरणी :-

<u>(क) क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण -</u>

संस्थागत व्यवस्था में नामित सदस्यों का People’s Plan Campaign, 2021 से संबंधित प्रशिक्षण / उन्मुखीकरण Cascading mode में किया जाना है, जो निम्नुसार आयोजित किया जायेगा।

क्र० सं०	स्तर	अभियान संचालन के लिए बनाया गया संस्थागत व्यवस्था	प्रशिक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्य	प्रशिक्षण के बैचों की संख्या	प्रशिक्षण की तिथि	प्रशिक्षण स्थल
1.	राज्य	राज्य संसाधन दल का उन्मुखीकरण	राज्य संसाधन दल का उन्मुखीकरण राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था एवं पंचायत राज, हैदराबाद द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा			
		विभाग में सूचीबद्ध मास्टर ट्रेनर्स का	96	विभाग में सूचीबद्ध मास्टर ट्रेनर्स का उन्मुखीकरण पंचायती राज विभाग,, झारखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 13-14		

क्र० सं०	स्तर	अभियान संचालन के लिए बनाया गया संस्थागत व्यवस्था	प्रशिक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्य	प्रशिक्षण के बैचों की संख्या	प्रशिक्षण की तिथि	प्रशिक्षण स्थल
		उन्मुखीकरण		सितम्बर 2021 को ऑनलाइन किया गया है।		
		संबंधित 13 विभागों के नामित नोडल पदाधिकारी का उन्मुखीकरण बैठक	13	संबंधित 13 विभागों के नामित नोडल पदाधिकारी का उन्मुखीकरण बैठक पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 09 सितम्बर 2021 को किया गया है।		
2.	प्रमंडल	जिला संसाधन दल का प्रशिक्षण	192	2	13-15 सितम्बर, 2021 और 16-18 सितम्बर 2021	केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, हेहल / पंचायत प्रशिक्षण संस्थान, देवघर / प्रमंडलीय प्रशिक्षण संस्थान, हजारीबाग़, / प्रमंडलीय प्रशिक्षण संस्थान, चाइबासा / प्रमंडलीय प्रशिक्षण संस्थान, पश्चिमी सिंहभूम पलामू, लातेहार और गढ़वा का प्रशिक्षण केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, हेहल में आयोजित किया जायेगा
3.	जिला	प्रखंड संसाधन दल का प्रशिक्षण	1315	33	20 से 23 सितम्बर 2021	जिला में अवस्थित जिला पंचायत राज संसाधन केंद्र में आयोजित किया जायेगा प्रशिक्षण 6-7 प्रखंड के क्लस्टर पर आयोजित किया जायेगा।

क्र० सं०	स्तर	अभियान संचालन के लिए बनाया गया संस्थागत व्यवस्था	प्रशिक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्य	प्रशिक्षण के बैचों की संख्या	प्रशिक्षण की तिथि	प्रशिक्षण स्थल
						विभाग में सूचीबद्ध गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा। सन्दर्भ व्यक्ति के रूप में विभाग में सूचीबद्ध मास्टर ट्रेनर्स की सेवा ली जा सकती है।
4.	प्रखंड	ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का प्रशिक्षण	(4351*5) 21755	544	23 से 30 सितम्बर 2021	प्रशिक्षण प्रखंड या 7-8 ग्राम क्लस्टर में शामिल किसी ग्राम पंचायत में आयोजित किया जायेगा प्रशिक्षण 7-8 ग्राम पंचायतों के क्लस्टर पर आयोजित किया जायेगा। विभाग में सूचीबद्ध गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से आयोजित किया जा सकता है अथवा विभाग में सूचीबद्ध गैर सरकारी संस्थाओं को यह प्रशिक्षण outsource भी किया जा सकता है। सन्दर्भ व्यक्ति के रूप में विभाग में

क्र० सं०	स्तर	अभियान संचालन के लिए बनाया गया संस्थागत व्यवस्था	प्रशिक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्य	प्रशिक्षण के बैचों की संख्या	प्रशिक्षण की तिथि	प्रशिक्षण स्थल
						सूचीबद्ध मास्टर ट्रेनर्स की सेवा ली जा सकती है।

i. सबकी योजना सबका विकास के तहत वर्ष 2021 - 22 में संचालित "People's Plan Campaign" विषय पर प्रशिक्षण / उन्मुखीकरण के लिए मनरेगा एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पदाधिकारियों / परामर्शी का सहयोग लिया जा सकता है । राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की भूमिका परिशिष्ट - 3 में विस्तृत रूप से वर्णित है ।

ii. सबकी योजना सबका विकास के तहत वर्ष 2021 - 22 में संचालित "People's Plan Campaign" विषय पर प्रशिक्षण / उन्मुखीकरण की प्रविष्टि पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस निमित बनाये गये वेब पोर्टल https://trainingonline.gov.in में किया जायेगा, जिसके लिए सभी जिला को Login Credentials उपलब्ध करा दिया गया है।

iii. सबकी योजना सबका विकास के तहत वर्ष 2021 - 22 में संचालित "People's Plan Campaign" विषय पर प्रशिक्षण / उन्मुखीकरण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की विवरणी निम्न प्रारूप में संधारित किया जायेगा।

Participants List								
Sr.No	**Name**	**Email**	**Contact Number**	**Category of Trainee**	**Gender**	**Designation**	**Organization**	**Caste Category**

(ख) पंचायतों में अभियान पूर्व सकारात्मक वातावरण निर्माण –

i. सबकी योजना सबका विकास अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी पंचायतों में प्रसार प्रचार के माध्यम से सूचनाएं ग्रामीणों को ससमय मिलनी चाहिए | प्रचार प्रसार का मुख्य उदेश्य, ग्राम सभाओं में सभी वर्गों की भागीदारी एवं ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण में सभी समुदाय की मांगो एवं जरूरतों की चर्चा हो सके, जिसके अनुरूप योजनाओं का चयन किया जा सके ।

ii. सबकी योजना सबका विकास अभियान के तहत People’s Plan Campaign अंतर्गत प्रचार- प्रसार कार्यक्रम का आयोजन अक्टूबर – नवम्बर 2021 में किया जायेगा।

iii. प्रचार-प्रसार के माध्यम:

- रेडियो जिंगल के माध्यम से प्रचार प्रसार
- सोशल मीडिया यथा फेसबुक / ट्विटर आदि का प्रचार प्रसार के लिए उपयोग
- सभी ग्राम पंचायतों में योजना निर्माण पूर्व स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रभात फेरी
- ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति द्वारा सभी राजस्व गांव में अभियान के बारे में व्यापक प्रचार
- सभी ग्राम पंचायत सचिवालय में hoarding एवं गांव में दिवार लेखन ।
- सभी प्रखंड कार्यालय/जिला कार्यालय में hoarding एवं अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी

iv. सबकी योजना सबका विकास अभियान के तहत People’s Plan Campaign अंतर्गत प्रसार प्रचार में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठनो के सदस्यों को सक्रिय सहयोग लिया जा सकता है।

v. पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी समिति के प्रतिनिधियों का उन्मुखीकरण :

- जिला परिषद के कार्यकारी समिति के प्रतिनिधियों का अभियान पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण
- पंचायत समिति के कार्यकारी समिति के प्रतिनिधियों का अभियान पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण
- ग्राम पंचायत के के कार्यकारी समिति के प्रतिनिधियों का अभियान पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण

(ग) परिस्थिति विश्लेषण – इसका उद्देश्य वर्तमान स्थिति, आवश्यकता, संसाधन एवं रणनीति का चयन है ।

I. ग्राम पंचायत विकास योजना में सर्वप्रथम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् की वर्तमान स्थिति का आकलन क्रमश: गाँववार, ग्राम पंचायत वार एवं पंचायत समिति वार किया जायेगा, जिसका समेकन संबंधित पंचायती राज संस्था के स्तर पर किया जायेगा।

II. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् की वर्तमान स्थित के आकलन में संबंधित स्तर पर गठित स्थायी समिति के सहयोग से किया जायेगा।

III. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् की वर्तमान स्थिति के आकलन में क्रमश: ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल, प्रखंड संसाधन दल एवं जिला संसाधन दल के सहयोग से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् द्वारा किया जायेगा।

IV. संबंधित विभागों (29 विषयों) के ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् स्तर पर कार्यरत कर्मी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् को आँकड़े उपलब्ध कराएंगे और पुरे प्रक्रिया को पूरा करने में हर स्तर पर सहयोग देंगे।

V. वर्तमान स्थिति के आंकलन में क्षेत्र में सक्रिय NGO / CBO विशेषत: विभाग में सूचीबद्ध गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकता है।

VI. वर्तमान स्थिति के आंकलन में निम्नलिखित बिन्दुओं को शामिल किया जा सकता है।

- ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के सामाजिक संसाधन, अर्थव्यवस्था, जनसांख्यिकी और प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं विश्लेषण ।

- ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् क्षेत्र में जनता के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचा और सेवाओं तथा कार्यरत सरकारी सेवकों का व्यौरा।
- प्रमुख क्षेत्रों विशेषत: सामाजिक क्षेत्र संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करना।
- सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं जिनका क्रियान्वयन अवधि यथासंभव कम हो और उनपर त्वरित कारवाई की जा सके।
- ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् को उपलब्ध निधियों / अनुदान और सरकारी संस्थाओं / औधोगिक प्रतिष्ठानों के अनुदान एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अर्जित किये जाने वाले धन का विस्तृत आकलन।
- पिछली योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति, उनके परिणाम और उपलब्धियों का जायजा और आवश्यकतानुसार आगे ले जाने योग्य अधूरे कार्यों का विश्लेष्ण और उसमें लगने वाले निधि का आंकलन।

vii. स्थिति आंकलन / विश्लेषण प्रक्रिया

- प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण : ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के लिए बुनियादी एवं योजना की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रयोजन हेतु निर्गत प्रारूप में एकत्रित किया जायेगा। प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण में संबंधित स्तर के सरकारी कर्मचारी सहयोग करेंगे।
- द्वितियक आंकड़ों का संग्रहण : स्थिति आकलन के लिए निम्नलिखित द्वितियक आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के स्तर पर क्रमश: ग्राम पंचायत सहजकर्त्ता दल, प्रखंड संसाधन दल एवं जिला संसाधन दल का सहयोग लिया जा सकता है -

  a. Census Data

b. Socio-Economic Caste Census (SECC) Data
c. District Handbook
d. Mission Antyodaya
e. Local Government Directory
f. GIS Data
g. EGramswaraj,
h. Gram Manchitra, Bhuvan
i. Web based monitoring data

- परिस्थिति विश्लेषण प्रतिवेदन : प्राथमिक एवं द्वितियक आंकड़ों और एकत्रित की गयी अन्य सूचनाओं के आधार पर परिस्थिति विश्लेशण प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति और संभावित गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा होगा।
- स्थिति आकलन के दौरान संभावित गतिविधियों के चयन में झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 के संदर्भित धाराओं एवं 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का अनुपालन किया जाएगा ।

(घ) नियोजन प्रक्रिया -

i. ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की चरणबद्ध विवरणी :-

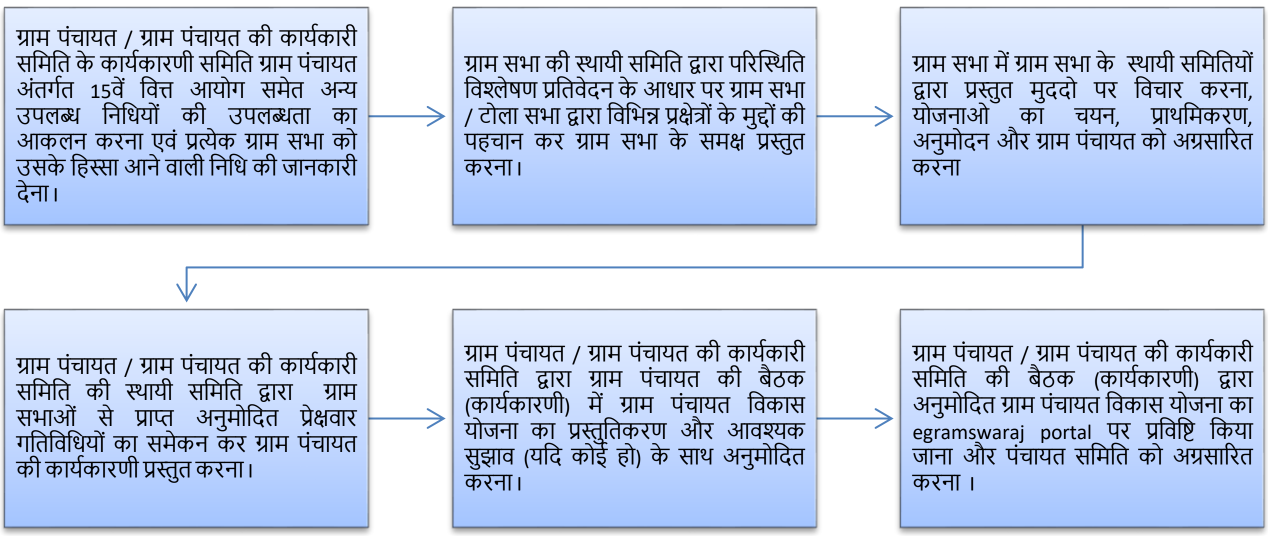

ii. ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया 02 अक्टूबर 2021 को विशेष ग्राम सभा के आयोजन से प्रारंभ होगा । 2 अक्टूबर 2021 को विशेष ग्राम सभा के एजेंडा अन्य विवरणी अनुसूची – 1 में दिए प्रारूप के अनुरूप हो सकता है।

iii. ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण दो चरण में किया जाएगा :

- पहला चरण : ग्राम स्तर पर नियोजन प्रक्रिया
- दूसरा चरण : ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी से अनुमोदन

पहला चरण :-

a. प्रत्येक गाँव में नियोजन की प्रक्रिया तीन दिन की होगी
b. नियोजन की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल अपने ग्राम पंचायत के अंतर्निहित ग्राम सभा को सहयोग करेगा ।
c. ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल नियोजन प्रक्रिया पूर्व सभी ग्राम सभा में नियोजन प्रक्रिया की सूचना ससमय देगें एवं यह सुनिश्चित करेगें कि सभी समुदाय के लोगों/परिवारों की सहभागिता हो ।
d. गाँव स्तरीय नियोजन प्रक्रिया की तिथिवार विवरणी :

- **पहला दिन:**
  - रणनीति – समूह चर्चा
  - भागीदार – ग्रामीण परिवार
  - विमर्श के मुद्दे - आजीविका / स्वास्थ्य / शिक्षा / मूलभूत सेवाएं इत्यादि
  - निष्कर्ष - समस्याओं का निपटारा कैसे किया जाय
  - अनुरोध - नियोजन प्रणाली अंतर्गत योजना बनाने एवं चयन करने हेतु तीसरे दिन ग्राम सभा में अपनी भागीदारी
- **दूसरा दिन:**
  - रणनीति – सामूहिक विमर्श एवं आम सहमति

- भागीदार – ग्रामीण जनता/परिवार
- विमर्श के मुद्दे - एक पंचायत एक योजना की अवधारणा को समझाना । प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के बारे में चर्चा करना । सामाजिक मानचित्रण बनाना एवं लोगों के साथ टोला में TRANSECT भ्रमण करना । वर्तमान में 15वें वित्त आयोग द्वारा दी गयी सेवाओं/ योजनाओं की स्थिति पर चर्चा एवं आंकलन करना ।
- निष्कर्ष - मनरेगा में काम के इच्छुक परिवार की संख्या । हासिये पर जीवन यापन कर रहे परिवारों को चिन्हित करना । अगले वर्ष चयन की जाने वाली योजनाओं / मांगो को अंकित करना ।
- अनुरोध - ग्राम सभा के स्थायी सदस्यों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित किया जायेगा ।

चर्चा का प्रतिवेदन ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का सदस्य करेगा/करेगी ।

- **तीसरा दिन:** ग्राम सभा का आयोजन
  - रणनीति – सामूहिक विमर्श एवं आम सहमति
  - भागीदार – ग्रामीण जनता/परिवार (ग्राम सभा की सूचना मुखिया एवं कार्यकारिणी द्वारा सभी राजस्व गांव में 7 दिन पूर्व दे दी जाएगी)
  - विमर्श के मुद्दे - मांगों / योजनाओं का ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करना (ग्राम सभा के स्थायी सदस्यों द्वारा चयनित योजनाओं को ग्राम सभा के समक्ष पढ़ कर सुनाया जायेगा । राज्य ग्रामीण आजीवक मिशन द्वारा संचालित VPRP के मध्यम से चयनित योजनाओं को भी ग्राम सभा के समक्ष पढ़ कर सुनाया जायेगा, और उसमें से भी योजनाओं के चयन किया जा

सकता है । दोनों में ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का सहयोग लिया जा सकता है ।)

- निष्कर्ष - ग्राम सभा में प्रस्तुत चयनित योजनाओं की प्राथमिकता ग्राम सभा द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जिसके दस्तावेजीकरण में ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल के सदस्य का सहयोग लिया जा सकता है।
- ग्राम सभा का समापन से पहले ग्राम सभा के दस्तावेज पर मुखिया एवं पंचायत सचिव का हस्ताक्षर ग्राम सभा के समक्ष किया जाएगा ।
- सहजकर्ता दल यह सुनिश्चित करेगा की ग्राम सभा में संकुल संसाधन व्यक्ति (प्राथमिक शिक्षा)/पारा शिक्षक/जल सहिया/सहिया /कृषि मित्र / ग्राम संगठन के सदस्य की उपस्थिति दर्ज हो ।
- ग्राम सभा से अनुमोदित योजना को ग्राम पंचायत को उपलब्ध किया जायेगा ।

दूसरा चरण : ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी से अनुमोदन:

I. ग्राम पंचायत स्तर पर सभी राजस्व गाँवों के ग्राम सभाओं से प्राप्त योजनाओं का समेकन ग्राम पंचायत की स्थायी समिति द्वारा किया जायेगा । इस कार्य में ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल ग्राम पंचायत की स्थायी समिति को सहयोग करेगी ।

II. ग्राम पंचायत की स्थायी समिति/प्रखण्ड संसाधन दल द्वारा ग्राम सभाओं के समेकित योजनाओं का दस्तावेज ग्राम पंचायत के समक्ष अनुमोदन के लिए पढ़ कर सुनाया जायेगा ।

III. ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी की बैठक में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सभी योजनाओं का वित्तीय संसाधन का आंकलन कर

बिना प्राथमिकता को बदलते हुए कार्य योजनाओ का सर्वसम्मति से अनुमोदन करेगी ।

IV. सभी ग्राम पंचायतों का GPDP योजना दस्तावेज ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति की कार्यकारिणी से अनुमोदित हो जाना चाहिए ।

V. कार्ययोजना की दो प्रति तैयार की जाएगी : एक ग्राम पंचायत कार्यालय में रखी जाएगी एवं दूसरी पंचायत समिति को भेजी जाएगी ।

VI. ग्राम पंचायत कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित कार्य योजना का दस्तावेजीकरण पंचायत सचिव द्वारा किया जाएगा । इस कार्य में ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल पंचायत सचिव को सहयोग करेगी ।

<u>पंचायत समिति विकास योजना</u> :-

i. पंचायत समिति विकास योजना निर्माण से संबंधित प्रक्रिया 01.12.2021 से 15.01.2022 तक पूर्ण किया जाना हैं । योजना की ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में प्रविष्टि एवं अनुमोदन हेतु अंतिम तिथि 31.01.2022 है ।

ii. पंचायत समिति विकास योजना बनाने के लिए Step Wise प्रक्रिया की विवरणी निम्नवत है -

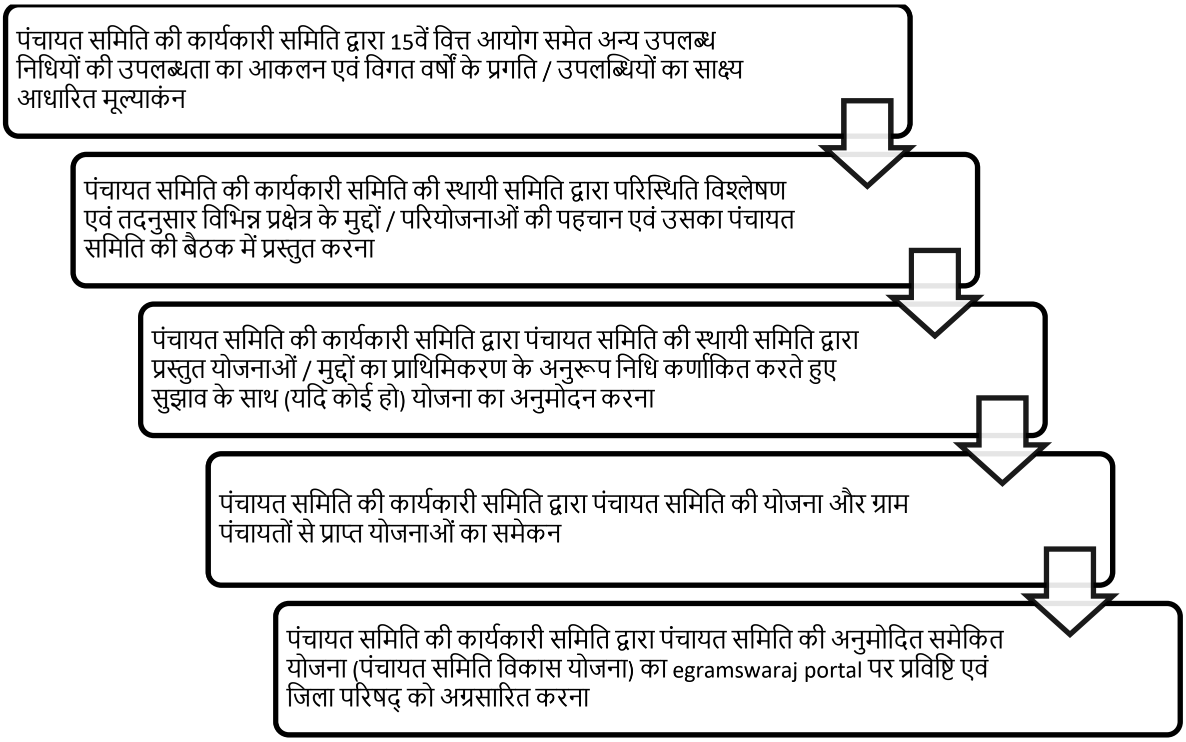

पंचायत समिति विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया :-

पंचायत समिति विकास योजना तीन चरण में बनाया जायेगा :

प्रथम चरण -

a. पंचायत समिति की स्थायी समिति द्वारा प्रखंड संसाधन दल के सहयोग से ग्राम पंचायतों से प्राप्त योजनाओं का समेकन किया जायेगा ।

b. ग्राम पंचायतों से प्राप्त योजनाओं में से पंचायत समिति स्तर से ली जाने वाली संभावित योजनाओं को प्रक्षेत्रवार समेकन किया जायेगा ।

दूसरा चरण -

a. ग्राम पंचायतों से प्राप्त योजनाओं में से पंचायत समिति स्तर से ली जाने वाली संभावित योजनाओं को पंचायत समिति विकास योजना में शामिल करने की करवाई की जाएगी
b. पंचायत समिति की स्थायी समिति द्वारा प्रखंड संसाधन दल के सहयोग से पंचायत समिति द्वारा ली जाने वाली योजनाओं की पहचान की जायेगी

तीसरा चरण -

a. ग्राम पंचायतों के योजनाओं से ली जाने वाली योजनाओं और पंचायत समिति द्वारा पहचान की गयी योजनाओं को पंचायत समिति की बैठक के समक्ष प्राथमिकता निर्धारण
b. पंचायत समिति की बैठक में प्राथमिकता के आधार पर ली जाने वाली योजनाओं को निधि आवंटन एवं पंचायत समिति का अनुमोदन
c. पंचायत समिति से अनुमोदित योजना की दो प्रति बनाई जाएगी, एक प्रति पंचायत समिति अपने पास रखेगी एवं दूसरी प्रति जिला परिषद् को भेजी जाएगी
d. पंचायत समिति से अनुमोदित योजना को इस निमित बनाये गये वेब एप्लीकेशन पोर्टल में भी अपलोड किया जायेगा

<u>जिला परिषद् विकास योजना :-</u>

i. ज़िला परिषद विकास योजना निर्माण से संबंधित प्रक्रिया 01.12.2021 से 15.01.2022 तक पूर्ण किया जाना हैं । योजना की ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में प्रविष्टि एवं अनुमोदन हेतु अंतिम तिथि 31.01.2022 है ।

ii. जिला परिषद् विकास योजना बनाने के लिए Step Wise प्रक्रिया की विवरणी निम्नवत है।

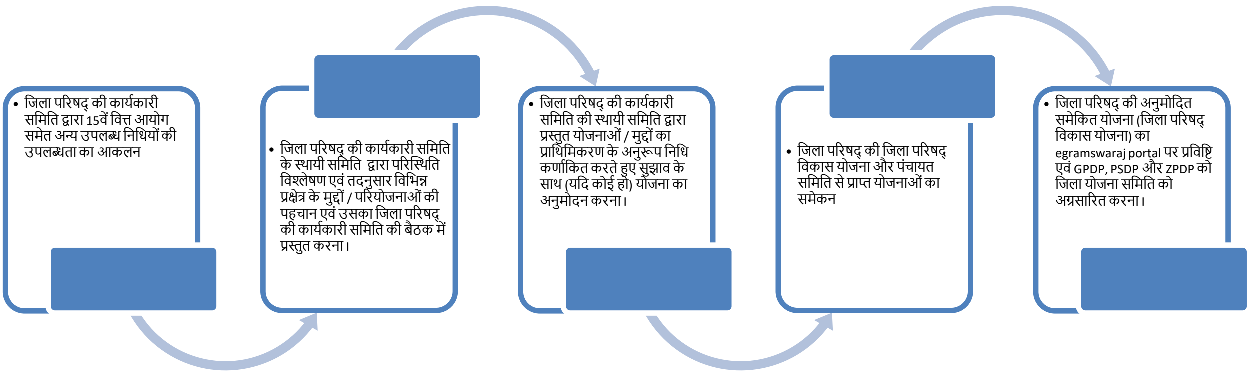

ज़िला परिषद विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया :-

जिला परिषद् विकास योजना तीन चरण में बनाया जायेगा :

प्रथम चरण -

a. जिला परिषद् की स्थायी समिति द्वारा जिला संसाधन दल के सहयोग से जिले की सभी पंचायत समितियों से प्राप्त योजनाओं का समेकन
b. पंचायत समितियों से प्राप्त योजनाओं में से जिला परिषद् स्तर से ली जाने वाली संभावित योजनाओं को प्रक्षेत्रवार समेकन

दूसरा चरण -

a. पंचायत समिति से प्राप्त योजनाओं में से जिला परिषद् स्तर से ली जाने वाली संभावित योजनाओं को जिला परिषद् विकास योजना में शामिल करने की करवाई की जाएगी ।

b. जिला परिषद् की स्थायी समिति द्वारा जिला संसाधन दल के सहयोग से जिला परिषद् द्वारा ली जाने वाली योजनाओं की पहचान की जायेगी

तीसरा चरण -

a. पंचायत समिति की योजनाओं से ली जाने वाली योजनाओं और पंचायत समिति द्वारा पहचान की गयी योजनाओं को जिला परिषद् की बैठक में प्राथमिकता निर्धारण
b. जिला परिषद् की बैठक में प्राथमिकता की योजनाओं को निधि आवंटन एवं जिला परिषद् का अनुमोदन
c. जिला परिषद् से अनुमोदित योजना की दो प्रति बनाई जाएगी, एक प्रति जिला परिषद् अपने पास रखेगी एवं दूसरी प्रति जिला योजना समिति को भेजी जाएगी ।

अनुमोदित योजना की egramswaraj portal में प्रविष्टि -

ग्राम पंचायत विकास योजना, पंचायत समिति विकास योजना एवं जिला परिषद् विकास योजना का egramswaraj portal में प्रविष्टि एवं अनुमोदन किया जायेगा। इस निमित्त अंतिम तिथि 31.01.2022 निर्धारित है ।

<u>परिशिष्ट - 1</u>

ग्राम पंचायत विकास योजना अंतर्गत संचालित People's Plan Campaign में ग्राम सभाओं को जीवंत एवं सशक्त बनाने के लिए की जाने वाली गतिविधियाँ -

ग्राम पंचायतों की परिकल्पना ग्रामीण आबादी को स्वशासी प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए की गई है । जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए ग्राम सभाएँ नागरिकों के मिलने और विकास एवं शासन से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने ग्राम पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता लाने और जवाबदेही को सक्षम करने के उद्देश्य से समाधान खोजने के लिए उनकी आम समस्याओं पर चर्चा करने का मंच हैं । गाँव में विकासात्मक योजनों के गहन कार्यान्वयन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्राम सभाओं को जीवंत बनाना ग्रामीण स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में एक प्रयास है, जिसके लिए People's Plan Campaign के तहत निम्नलिखित गतिविधियों के आयोजन के लिए निर्णय लिया जा सकता है -

i. ग्राम सभा का नियमित आयोजन – ग्राम सभा की अनिवार्य बैठकों के साथ-साथ एक वर्ष में ग्राम सभाएँ छः से बारह बैठकें आयोजित करने के लिए एक कैलेंडर तैयार कर सकती है । ग्राम सभा की बैठकें यथासंभव स्कूल परिसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित की जा सकती है ।

ii. ग्राम सभा के एजेंडा को औपचारिक बनाना – ग्राम सभा बैठकों के लिए एजेंडा को नियमित स्थायी एजेंडा आइटमों में शामिल करने के पश्चात स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता, पोषण और शिक्षा जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता/फोकस वाले क्षेत्रों पर केन्द्रित एजेंडा शामिल किए जा सकते है । नियमित स्थायी एजेंडा में अन्य बातों के साथ-साथ पिछली बैठक के कार्यवृत की पुष्टि, पिछले

कार्यवृत पर कार्य निष्पादन प्रतिवेदन, प्राप्ति एवं व्यय की समीक्षा, लेखा परीक्षा और सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार, सेवा वितरण पर विशेष ध्यान देने के साथ नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन की समीक्षा, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए बुनियादी ढाँचे के कार्यों पर प्रगति का उचित चयन/ मंजूरी/निगरानी और सही लाभार्थियों की पहचान को शामिल किया जा सकता है ।

iii. ग्राम सभा का प्रभावी समय निर्धारण – ग्राम सभा की बैठकों को अलग-अलग समय पर किया जा सकता है ताकि किसी विशेष दिन के चयनित समूहों की ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकें की जा सकती है ।

iv. ग्राम सभा में ग्रुप ए एवं ग्रुप बी के अधिकारियों की उपस्थिति – जिला प्रशासन सभी ग्राम सभा बैठकों में भाग लेने के लिए ग्रुप ए एवं ग्रुप बी के अधिकारियों को नामित कर सकती है ।

v. ग्राम सभा में लोगों की भागीदारी बढ़ाना – ग्राम सभा की बैठकों में सभी पात्र नागरिकों की अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना चाहिए । बैठकों में नियम के अनुसार न्यूनतम (कोरम के अनुसार) नागरिकों की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना चाहिए । इसके लिए विभिन्न जागरूकता सृजन और संचार साधनों का सहारा लिया जा सकता है ।

vi. ग्राम सभा की स्थायी समितियों को सक्रिय करना – झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 के अनुसार ग्राम सभा के लिए निर्धारित स्थायी समितियों का गठन कर उनको सक्रिय किया जा सकता है ।

<u>परिशिष्ट - 2</u>

ग्राम पंचायत विकास योजना अंतर्गत संचालित People's Plan Campaign के दौरान कम लागत और बिना लागत की योजनाओं की विवरणी :-

पंचायतों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही निधियों / अनुदानों के अतिरिक्त सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुत सारी योजनाओं में पंचायतों की अप्रत्यक्ष भूमिका होती है। पंचायतों को 29 विषय सौपे गये हैं तथा 13 विभागों द्वारा कार्य, कर्मी एवं कोष पर नियंत्रण पंचायतों को सौपा गया है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्वेक्षण में पंचायतों की सक्रिय भूमिका से व्यापक बदलाव संभव है।

पंचायतों को उपलब्ध संसाधनों के आधार पर क्रियान्वयन के अतिरिक्त कम लागत एवं बिना लागत (Low Cost, No Cost) की योजनाओं पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए, जिसमें पंचायत के सभी सहभागियों, हितधारकों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक निर्धारित कार्ययोजना तैयार कर पूर्ण करने का प्रयास किया जा सकता है।

कम लागत एवं बिना लागत से ली जाने वाली संभावित योजनाओं के लिए मुद्दे निम्नवत हैं।

- क. शून्य भूखमरी वाली पंचायत
- ख. पूर्ण साक्षर पंचायत
- ग. पर्यावरण अनुकूल पंचायत
- घ. सामाजिक कुरीति मुक्त पंचायत
- ङ. दहेज मुक्त पंचायत
- च. बाल मजदूरी मुक्त पंचायत
- छ. कुपोषण मुक्त पंचायत
- ज. बाल विवाह मुक्त पंचायत

झ. मानव ट्रैफिकिंग मुक्त पंचायत

ञ. पलायन मुक्त पंचायत

ट. नशा मुक्त पंचायत

ठ. डायन प्रथा मुक्त पंचायत

<u>**परिशिष्ट - 3**</u>

ग्राम पंचायत विकास योजना अंतर्गत संचालित People's Plan Campaign में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के ग्राम संगठनों की भूमिका -

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, झारखण्ड द्वारा सभी गाँवों में महिलाओं की स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठनों का गठन किया गया है। महिलाओं की स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठनों के पास विकास के कई महत्वपूर्ण प्रक्षेत्रों की अवधारणा, समझदारी एवं गाँव स्तर पर काम करने की क्षमता एवं विशेषज्ञता है, जो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित विकेंद्रीकृत नियोजन को सहभागी एवं समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। महिलाओं की स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठन की संभावित भूमिका निम्नलिखित प्रक्षेत्रों में हो सकती है –

I. जन जागरूकता

पंचायती राज व्यवस्था के महत्व, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों, दायित्वों एवं उपलब्ध संसाधन तथा संचालित योजनाओं और अभियान के संबंध में जन जागरूकता में महिलाओं की स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठनों की अहम भूमिका है, जिससे पंचायत के अभिशासन को सशक्त और अधिक उत्तरदायी बनाने में सहयोग हो सकता है।

II. समुदाय की भागीदारी

गाँवों में गठित महिलाओं की स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठनों में जन सहभागिता खासकर दलित, आदिवासी, युवा समेत सभी अभिवंचित लोगों की सहभागिता में विश्वाश रखते हैं। अत: गाँव की योजना और विकास की प्रक्रिया के साथ उन्हें

जोड़ना बेहद जरुरी है ताकि सभी लोगों को ग्राम पंचायत विकास योजना का भागीदार बनाकर उनकी आवश्यकताओं एवं आंकाक्षाओं को योजना में शामिल किया जा सके।

III. क्षमता निर्माण

स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठनों के सदस्यों को निचले स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण में प्रशिक्षक के रूप में भी जोड़ा जा सकता है, जो अपने क्षेत्र में कार्य करने का अच्छा अनुभव रखते है ।

IV. विशेष वर्गों विशेषत: महिलाओं से संबंधित योजनाओं की पहचान

स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठनों के सदस्य विशेष वर्गों विशेषत महिलाओं से संबंधित विभिन्न सामाजिक मुद्दों एवं योजनाओं के पहचान में सहयोगी हो सकते हैं, विशेष प्रक्षेत्र विशेषत महिलाओं की आजीविका से संबंधित योजनाओं के मुद्दों में किया जा रहे उनके कार्यों एवं अनुभव के आधार पर महिलाओं एवं अभिवंचित वर्गों के लिए आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं की पहचान ज्यादा बेहतर ढंग से हो सकता है।

V. फैसिलिटेटर के रूप में

ग्राम पंचायत विकास योजना अंतर्गत People’s Plan Campaign के तहत गठित विभिन्न संस्थागत व्यवस्था में स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठनों के सदस्यों को नामित किया गया है ताकि वे ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रत्येक स्तर पर फैसिलिटेटर के रूप में योजना को अधिक प्रभावी बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।

****

अनुसूची – 1

ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु विशेष ग्राम सभा की सारिणी

"सबकी योजना सबका विकास "

बैठक की तिथि : ....

ग्राम पंचायत : .... LGD Code: ....

प्रखंड : .... जिला : .... राज्य: ....

- **बैठक का अजेंडा:** ग्राम पंचायत विकास योजना
- **सदस्यों की उपस्थिति : जन प्रतिनिधि एवं विभागीय कर्मी**
- **ग्राम सभा की गतिविधि :**

i. मुखिया /पंचायत सचिव द्वारा ग्राम सभा के मुख्य उदेशय को बताया जाएगा .

ii. पंचायत सचिव द्वारा : ग्राम पंचायत विकास योजना की परिकल्पना

iii. FACILITATOR द्वारा परिस्थिति विश्लेषण प् प्रदिवेदन एवं ग्राम सभा से अनुमोदन

iv. स्वयं सहायता समूह द्वारा "गरीबी न्यूनीकरण योजना" का ग्राम सभा में प्रस्तुतीकरण

v. पंचायत सचिव द्वारा : ग्राम सभा में परिस्थिति विश्लेषण के प्रतिवेदन पर चर्चा एवं प्राथमिकता के आधान पर योजनाओं को रखना : अति महत्वपूर्ण , महत्वपूर्ण एवं वांक्षित योजनाएं

vi. विभागीय कर्मियों द्वारा संविधान की अनुसूची 11 के 29 विषयों पर ग्राम सभा में प्रस्तुतीकरण : विभागों द्वारा कौन कौन सी योजनाएं ग्राम पंचायत में संचालित / क्रियान्वयन हो रही है एवं बजट उपबंध के बारे में जानकारी देगें

संविधान की 11 अनुसूची अंतर्गत 29 विषय

1.कृषि
2.भूमि
3.लघु सिचाई
4.पशुपालन
5.मतस्य
6.सामाजिक वानिकी
7.लघु वन उपज
8.लघु उद्योग
9.खादी

12. Fuel and fodder
13. सड़क
14. ग्रामीण विधुतीकरण
15. गैर पारंपरिक उर्जा
16. गरीबी उन्मूलन
17. शिक्षा
18. Vocational Education
19. Adult and Non-Formal Education

23. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
24. परिवार कल्याण
25. महिला एवं बाल विकास
26. समाज कल्याण
27. कमजोर वर्गों का कल्याण
28. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण

vii. वर्तमान वर्ष की योजनाओं का मूल्यांकन एवं राशि का उपयोग

viii. विभागीय कर्मी , वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायतों को विभिन्न योजनाओं / विभागों द्वारा उपलब्ध राशि की सम्पूर्ण जानकारी देगें

ix. 15वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग के प्रमुख प्रक्षेत्र

x. सारी योजनाओं एवं गतिविधियों पर ग्राम सभा का प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदन लिया जाएगा जिसका अभिलेख पंचायत सचिव द्वारा बनाया जाएगा एवं विशेष ग्राम सभा के फोटो Geo-tagged करते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना के पोर्टल पर अपलोड किये जाएगे

सार्वजनिक सूचना बोर्ड